

कार्यालय, मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पत्रांक- 1058/मुजफ्फरनगर/26409/2017, दिनांक, लखनऊ, नवम्बर 24, 2018

सेवा में,

अपर प्रमुख मुख्य वन संरक्षक(केन्द्रीय)  
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,  
भारत सरकार,  
क्षेत्रीय कार्यालय, मध्य क्षेत्र, अलीगंज,  
लखनऊ।

विषय : मुजफ्फरनगर में उ0प्र0 पावर ट्रॉसमिशन लि0 द्वारा 132के0वी0 मुजफ्फरनगर-जानसठ लीलो भोपा (भोकरेहड़ी) पारेषण लाइन के निर्माण हेतु 0.1944 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 12 बाधक वृक्षों के पातन की अनुमति।


सन्दर्भ: भारत सरकार का पत्रांक-8बी/यूपी/04/56/2018/एफसी/202, दि0 20.06.2018,  
इस कार्यालय का पत्रांक-999/मुजफ्फरनगर/26409/2017, दि0 13.11.2018,  
भारत सरकार का पत्रांक-8बी/यूपी/04/56/2018/एफसी/513, दि0 20.11.2018,

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्रों का अवलोकन करने की कृपा करें। भारत सरकार के सन्दर्भित पत्र दि0 20.11.2018 के क्रम में अवगत कराना है कि भारत सरकार के सन्दर्भित पत्र दि0 20.06.2018 द्वारा वांछित सूचना एवं अभिलेख इस कार्यालय के उपरोक्त सन्दर्भित पत्र दि0 13.11.2018 द्वारा भारत सरकार को प्रेषित किया जा चुका है। सुलभ सन्दर्भ हेतु उक्त पत्र की छायाप्रति संलग्न कर प्रेषित है।

अनुरोध है कि प्रकरण में स्वीकृति निर्गत करने की कृपा करें।

संलग्नक:उपरोक्तानुसार।



भवदीय,

(पंकज मिश्र)

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,  
वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980  
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पत्रांक एवं दिनांक उपरोक्त।

- प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-
- 1- प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, वन एवं वन्यजीव अनुभाग-2, लखनऊ।
  - 2- वन संरक्षक, सहारनपुर वृत्त, सहारनपुर।
  - 3- प्रभागीय निदेशक, सा0वा0 प्रभाग, मुजफ्फरनगर।
  - 4- अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 ट्रॉसमिशन कार्पो0 लि0, मुजफ्फरनगर।



(पंकज मिश्र)

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,  
वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980  
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।